

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बीना शर्मा	फार्मसी अधिकारी	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र नई टिहरी, टिहरी गढवाल	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल (दुर्गम क्षेत्र हेतु)	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16189

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

NK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गिरीश चन्द्र रतूडी	फार्मसी अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	प्रा0स्वा0केन्द्र मोटाढांक, पौड़ी गढ़वाल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16191 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N.

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुजम्मिल अहमद	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र पवलगढ, बैलपडाव, नैनीताल	उप जिला चिकि0 धारचूला, पिथौरागढ	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16193

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय धारचूला, पिथौरागढ।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री परमेश्वर कार्की	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र खुशालपुर बुक्शा, बैलपडाव, नैनीताल	सा0स्वा0केन्द्र डीडीहाट, पिथौरागढ़	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16195 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेश चन्द्र	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र मोहान, बैलपडाव, नैनीताल	प्रा0स्वा0केन्द्र दर, पिथौरागढ़	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16197

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूनम अधिकारी	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र हिम्मतपुर, बैलपडाव, नैनीताल	साा0स्वा0केन्द्र धौलादेवी, अल्मोडा	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16199 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ममता पन्त	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र ढिकुली, बैलपडाव, नैनीताल	सा0स्वा0केन्द्र देवीथल, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16-201

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 16 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नवल किशोर	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र डूंगा, सहसपुर, देहरादून	प्रा0स्वा0केन्द्र मानथात, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16203

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुसुमलता डंगवाल	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र भितरली, सहसपुर, देहरादून	प्रा0स्वा0केन्द्र बुल्हाड, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16205 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री ललित कुमार चौहान	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र तिलवाडी, सहसपुर, देहरादून	प्रा0स्वा0केन्द्र खबरु, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16207

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)ऊ

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनिल कुमार तिवारी	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र चौसला, नैनीताल	प्रा0स्वा0केन्द्र बोना, पिथौरागढ़	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16209 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अर्चना मिश्रा	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र लामाचौड, नैनीताल	प्रा0स्वा0केन्द्र खेती, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16211 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र चांजी, पिलखी, टिहरी	प्रा0स्वा0केन्द्र घनसाली, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ **16213** तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार वर्मा	फार्मसी अधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए खेला, पिथौरागढ़	प्रा0स्वा0केन्द्र सिकरोडा, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16215 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुंजम	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र कंगसाली, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	प्रा0स्वा0केन्द्र चन्द्रपुरी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16217 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गजेन्द्र कुमार	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र तौली, धारचूला, पिथौरागढ़	प्रा0स्वा0केन्द्र डाडा जलालपुर, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16219

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

NK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनकपाल सिंह पंवार	फार्मसी अधिकारी	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र किल्बूखाल, रिखणीखाल, पौड़ी गढवाल	सा०स्व०केन्द्र थत्यूड, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16221

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढवाल/टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल/टिहरी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

NK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

:-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-I/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सोनू पाठक	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र कोट्यूडा, ताकुला, अल्मोडा	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16223

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयदीप बिष्ट	फार्मसी अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल	उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16227

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल/पौड़ी गढवाल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल/पौड़ी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा रावत	फार्मसी अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र बेरीनाग, पिथौरागढ़	प्रा0स्वा0केन्द्र खातीगांव, बागेश्वर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16225 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/बागेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुलदीप सिंह	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र उडामाण्डा, पोखरी, चमोली	बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ **16229** तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

AK
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्याम दत्त	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र काण्डोई भरम, चकराता, देहरादून	प्रा0स्वा0केन्द्र हटाल, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/16231 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मनोज कुमार	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र चौरा, जखोली, रुद्रप्रयाग	प्रा0स्वा0केन्द्र धनोल्टी, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16233 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विपिन चन्द्र जमलोकी	फार्मसी अधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र देवलकोट, गैरसैण, चमोली	प्रा0स्व0केन्द्र घोलतीर, रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/16235 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

:-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजकुमार वाल्मिकी	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र लमचूला, बैजनाथ, अल्मोडा	प्रा0स्वा0केन्द्र नैनी, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16237 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री लक्ष्मण सिंह	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र किमाणा, ज्योतिर्मठ, चमोली	प्रा0स्वा0केन्द्र सलूडडुग्रा, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/16239

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स 0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद कुमार	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र किरैथ, टिहरी गढवाल	प्रा०स्वा०केन्द्र पावकी देवी, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/16241 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बृजेन्द्र सिंह	फार्मसी अधिकारी	सा0स्वा0केन्द्र खिर्सू, पौड़ी गढवाल	जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16243 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढवाल।
- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

K

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र राम	फार्मसी अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र नन्दानगर, चमोली	सामु0स्वा0केन्द्र गैरसैण, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16245 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कु0 आनन्दी	फार्मसी अधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए उधमस्थल, कपकोट, बागेश्वर	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए काण्डई दशोली, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16247 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कौस्तुबा नन्द जोशी	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र पत्थरखोला, देघाट, अल्मोडा	प्रा0स्वा0केन्द्र प्रतापपुर, उधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16249 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप कुमार	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र श्रीकोट, थत्यूड, टिहरी गढ़वाल	प्रा0स्वा0केन्द्र कोडी पन्तवाडी, टिहरी गढ़वाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/1625/

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अजयबीर सजवाण	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र धोपडधार, पिलखी, टिहरी गढवाल	प्रा0स्वा0केन्द्र डूंडसीर कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/16253 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री पंकज कुमार जोशी	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र पन्द्रहपाला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	प्रा0स्वा0केन्द्र नौघर, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16255 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय सिंह राणा	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र देवरखडोरा, चमोली	प्रा0स्वा0केन्द्र बाम्पा, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16257 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बीरेन्द्र सिंह	फार्मसी अधिकारी	उपकेन्द्र किनगोडीखाल, पौड़ी गढवाल	प्रा0स्वा0केन्द्र दिगोलीखाल, पौड़ी गढवाल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16259 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय बिष्ट	फार्मसी अधिकारी	टी0बी0 क्लीनिक, चमोली	बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16261

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमारु मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विक्रमचन्द्र	फार्मसी अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र सतपुली, पौड़ी गढवाल	प्रा0स्वा0केन्द्र क्वांसी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/16263

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-I/289938/XXX(2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मुख्य फार्मसी अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री शशिधर अमोली	मुख्य फार्मसी अधिकारी	उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली	विधानसभा डिस्पेंसरी देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/40/2025/ 16265 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)